पंचायती राज अपडेट

हमारी पंचायतें, हमारा भविष्य

इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज

कुल पृष्ठ : 6
वार्षिक शुल्क : 100 रु.
एक प्रति : 10 रु.

वर्ष 10 अंक 11-12 नवंबर-दिसंबर 2017

चौधरी छोटूराम का ग्रामीण विकास मॉडल आज भी प्रासंगिक

डा. राजेश कुण्डू*

ग्रामीण विकास आज भी लगभग सभी राजनीतिक दलों का चुनावी मुद्दा रहता है। वास्तविक रूप से इस मुद्दे पर विचार करने के साथ कार्यरूप देने का सीधा श्रेय चौधरी छोटूराम जी को जाता है। यहां पर उचित रहेगा कि संक्षिप्त में छोटूराम जी के बारे में बताया जाए। रहबरे आजम, दीनबंधु, सर चौधरी छोटूराम का जन्म 24 नवंबर 1881 को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 पर स्थित रोहतक जिले के सांपला गढ़ी गांव में हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही प्राइमरी स्कूल में हुई, आठवीं श्रेणी झज्जर के माध्यमिक स्कूल से, दसवीं कक्षा मिशन हाईस्कूल दिल्ली से, सैंट स्टीफंस कालेज, दिल्ली से ही एफ.ए, लाहौर के डी.ए.वी. कॉलेज से बी.ए. तथा आगरा से एल.एल.बी. की शिक्षा प्राप्त की। सन् 1916 से 1920 तक कांग्रेस कार्यकर्ता तथा रोहतक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे। सन् 1920 में महात्मा गांधी से असहयोग आंदोलन पर मतभेद होने पर कांग्रेस को छोड़ दिया और 1923 फजले हुसैन के साथ मिलकर नेशनल यूनियनिस्ट पार्टी के सहसंस्थापक रहे। 1923 में ही पंजाब लैजिसलेटिव काउंसिल के सदस्य चुने गए और पंजाब सरकार में कृषि मंत्री व शिक्षा मंत्री रहे। सन् 1926 व 1929 में भी पंजाब लैजिसलेटिव काउंसिल के सदस्य चुने गए। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार पंजाब में 1937 में चुने गए और पंजाब सरकार में 1939 से 1941 तक विकास मंत्री तथा 9 जनवरी 1945 में मृत्यु होने तक राजस्व मंत्री रहे।

ग्रामीण विकास की बाधाओं पर विचार

ग्रामीण विकास का सपना उनकी आत्मा में बसा हुआ था। सन् 1901 में अपने कॉलेज की 'स्टीफियन' नाम पत्रिका के प्रथम में लेख लिखने का मौका मिला जिसमें उन्होंने ग्रामीण परिवेश के जनजीवन व ग्रामीण समस्याओं का न केवल वर्णन किया बल्कि उन समस्याओं के निवारण का रास्ता भी बताया। इस लेख के माध्यम से 20 वर्ष के युवक छोटूराम ने अपने ग्रामीण विकास से संबंधित रचनात्मक, परिपक्व, संवेदनशील व विवेचनात्मक विचारों को प्रकट किया। चौधरी छोटूराम के अनुसार ग्रामीण वातावरण में संयुक्त परिवार प्रणाली जो मूलरूप से पितृप्रधान/पुरुष प्रधान प्रणाली पर आधारित पुरुष मुखिया की स्वैच्छापूर्णता व निरंकुशता को प्रदर्शित करती थी, जो ग्रामीण विकास में बाधक एक समस्या व सामाजिक सुधारों में बड़ी बाधा थी। चौधरी साहब ने इस समस्या का हल भी बताया और कहा कि कम से कम घर की बहू को अपने बच्चों के साथ अलग सद्मे एक छत (एकल परिवार) के नीचे रहने की व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए। परिवार की आमदनी व खर्च का हिसाब रखने के लिए व्यापारियों जैसे नियमों को अपनाना चाहिए, जिससे घर का मुखिया अपनी मनमर्जी न कर सके। उन्होंने आगे जोर देकर कहा कि व्यक्तिगत विशेषाधिकारों के साथ-साथ व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की भावना को भी मान्यता मिलनी चाहिए। परिवार के साझा हितों के लिए आमदनी का विशेष अनुपात अलग से रखा जा सकता है और शेष को स्थायी व नियमित लाभ के लिए किसी व्यापार-कारोबार में लगाया जा सकता है। इस प्रकार परिवारिक बंधन भी शायद अधिक मजबूत बन सकेंगे और परिवार को मुखिया का विशेषाधिकार भी कम असुविधाजनक बन जाएगा। आज हम देख रहे हैं कि एकल परिवार व्यवस्था अपने आप में शहरी व ग्रामीण परिवेश में अपने आपको आगे बढ़ाने में लगी हुई है।

पंचायतों के पक्षधर

चौधरी छोटूराम पंचायती राज व्यवस्था को बहुत महत्व देते थे। उनके अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक विकास की प्रक्रिया में पंचायतों की भूमिका अति महत्वपूर्ण हो सकती है। वे पंचायतों के संवैधानिकीकरण के पक्षधर थे। और उनके चुनावों के माध्यम से प्रतिनिधित्व पर जोर देते थे। ग्रामीण झगड़ों को सुलझाने के लिए चौधरी छोटूराम पंचायतों को न्यायपालिका की शक्तियां प्रदान करने के हक में थे। चौधरी छोटूराम कहते थे कि यदि पंचायत के सदस्यों का विधिपूर्वक चुनाव किए जाए और उनके अधिकारों को निश्चित करके शासन द्वारा स्वीकार कर लिया जाए तो पंचायतें पूर्ण व शक्तिशाली संगठन बन सकती हैं। अत: आज हम देख रहे हैं कि पंचायती राज संस्थाएं अपने आप में संवैधानिक रूप से सरकार का स्थानीय स्तर पर महत्वपूर्ण अंग बन कर कार्य कर रही हैं। चौधरी साहब पंचायती फैसलों का सम्मान करते थे चाहे उस फैसले से उनको व्यक्तिगत रूप से नुकसान भी क्यों न होता हो। एक बार की बात है जब चौधरी छोटूराम ने 1920 में 'अपना पहला पंजाब लैजिसलेटिव कौंसिल का चुनाव लड़ रहे थे तो उनके चुनाव क्षेत्र (झज्जर-सोनीपत) से साल्हावास के एक सेठ ने रिसालदार स्वरूप सिंह गुलिया बादली गांव के व्यक्ति को उनके खिलाफ खड़ा कर दिया। कुछ शरारती तत्वों ने चुनाव से पहले एक अफवाह फैलाई कि गुलिया खाप ने पंचायती फैसला किया है कि सभी गुलिया गोत्र के लोग स्वरूप सिंह रिसालदार का समर्थन करेंगे। छोटूराम पंचायती परंपरा व संस्था की मान्यता के प्रबल पक्षधर थे। चौधरी साहब ने इस शरारती अफवाह को जानते हुए भी यह फैसला लिया कि वे पंचायती फैसले का उल्लंघन कभी नहीं करेंगे और पंचायती संगठन को आंच नहीं आने देंगे। साथ में ये भी कहा कि चुनाव तो आते-जाते रहेंगे और उन्होंने गुलिया खाप के गांवों से इस झूठे फैसले से, जो पंचायत के नाम से लिया गया था, वोट मांगने नहीं गए। इस कारण से वे चुनाव भी केवल 22 वोटों से हारे। यह हार भी उनके पंचायती परंपरा व संस्थाओं में श्रद्धा व अटूट विश्वास को दर्शाती है। अत: उनकी मान्यता थी कि पंचायतों को संपूर्ण संगठन बनाने के लिए उनके सदस्यों का

➤ शेष पृष्ठ 4 पर ....

राज्यों से

आंध्र प्रदेश

1011 ग्राम पंचायतों में अंधेरा छाया : गुंटूर जिले की 1011 ग्राम पंचायतों द्वारा बिजली बिल अदा न करने पर गलियों में अंधेरा छा गया। विद्युत विभाग का 83 करोड़ रु. बकाया वर्ष 2014 से लंबित है इसलिए विभाग ने विद्युत आपूर्ति रोक दी। ग्राम पंचायतें फंड न होने के कारण बिल अदा करने में असमर्थ हैं। पंचायत के अधिकारी सरकार से फंड की मंजूरी का रास्ता तलाश रहे हैं। ग्राम पंचायतों द्वारा बिजली का उपयोग गलियों में प्रकाश व्यवस्था, जल आपूर्ति और इसके कार्यालय के लिए किया जाता है। जिले में ग्राम पंचायतों पर प्रकाश व्यवस्था के 42 करोड़ रु., जल आपूर्ति के 41 करोड़ रु. और 1 करोड़ रु. कार्यालय में विद्युत उपयोग के बाकी हैं।

उत्तर प्रदेश

24 जिलों के 240 ग्राम पंचायत गंगा सफाई पर प्रशिक्षण लेंगे : गंगा नदी के किनारे बसने वाले लगभग 240 ग्राम प्रधान नदी की सफाई के लिए विशेष प्रशिक्षण लेंगे। यह एक दिवसीय कार्यशाला केंद्रीय पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा आयोजित की जाएगी। कार्यशाला में उन्हें जल संचयन, कूड़ा निस्तारण और जैविक खेती के बारे में भी बताया जाएगा। कार्यशाला में भाग लेने वाले ग्राम प्रधानों का केंद्रीय मंत्री उमा भारती के साथ रात्रि भोज का कार्यक्रम भी है। अधिकारियों ने बताया कि गंगा नदी पांच राज्यों - उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल से गुजरती है। इन राज्यों में गंगा के किनारे बसने वाले सभी गांवों को खुले में शौच से मुक्त किया जा चुका है। इसके दूसरे चरण में जल संचयन, तालाबों का पुनरुद्धार, कूड़ा निस्तारण और जैविक खेती पर जोर रहेगा।

गड़सरपार ग्राम पंचायत में अतिक्रमण हटाया : संतकबीरनगर जिले के विकास खंड खलीलाबाद की पंचायत गडसरपार में 30 दिसंबर को शासन के निर्देश पर जिलाधिकारी के आदेश पर गड़ही की भूमि से अतिक्रमण हटाने कर कार्रवाई की गई। जिसमें राजस्व निरीक्षक व लेखपाल की मौजूदगी में अतिक्रमणकारियों ने स्वयं सरकारी भूमि पर कब्जों को खाली किया। प्रदेश सरकार ने सरकारी भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर कब्जा करने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर सरकारी जमीन को खाली कराए जाने का निर्देश दिया है, जिसके क्रम में ग्राम पंचायत गडसरपार में भी अवैध अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ प्रशाशन ने डंडा चलाया है।

क्षेत्र पंचायत की बैठक में विकास कार्यों पर चर्चा : चंदौली जिले के धानापुर विकास खंड के सभागार में 30 दिसंबर को क्षेत्र पंचायत सदस्य, प्रधान सहित अन्य जन प्रतिनिधियों की बैठक हुई। जिसमें खंड विकास अधिकारी द्वारा ब्लॉक में संचालित विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। साथ ही दायित्वों के निर्वाहन हेतु सदस्यों को अवगत कराया गया। खंड विकास अधिकारी ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के बारे मे विशेष जानकारी दी गई। सदस्यों ने सफाई कर्मियों की कमी और उनकी मनमानी पर आक्रोश जताया।

उत्तराखंड

ज्येष्ठ उपप्रमुख ने दिया त्याग-पत्र : चमौली जिले के नारायणबगड़ ब्लॉक के ज्येष्ठ उपप्रमुख गंभीर सिंह नेगी ने उपप्रमुख और क्षेत्र पंचायत सदस्य पद से त्याग-पत्र दे दिया। गंभीर सिंह ने क्षेत्र पंचायत प्रमुख को त्याग-पत्र देते हुए बताया कि क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए अपेक्षित धनराशि निर्गत नहीं करने से क्षुब्ध होकर उन्होंने त्याग पत्र दिया है।

हरिद्वार जिला पंचायत अध्यक्ष भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित : हरिद्वार की जिला पंचायत अध्यक्ष सविता चौधरी को भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण पंचायती राज विभाग द्वारा निलंबित कर दिया गया। पंचायत मामलों के लिए तीन सदस्यीय टीम का गठन किया गया। जांच में उनके ऊपर हरिद्वार तहसील के बाहर दुकानों के आवंटन में भ्रष्टाचार का आरोप लगा। हरिद्वार के जिलाधिकारी ने जांच कराई और सामने आया कि दुकानें कम दामों पर बेची गईं तथा इसमें जिला पंचायत अध्यक्ष की भूमिका संलिप्त पाई गई।

ओड़ीशा

गलत आयु प्रमाण देने पर सरपंच निलंबित : क्योंझर जिलाधिकारी ने हतादीही ब्लॉक के मारेगन गांव के सरपंच को गलत आयु प्रमाण देने पर निलंबित कर दिया। मारेगन गांव के सरपंच नकुल चंद्रदास पर यह कार्रवाई पंचायत चुनाव में शपथपत्र में गलत आयु लिखने के कारण हुई।

जम्मू एवं कश्मीर

पंचायत चुनाव फरवरी के मध्य होंगे : जम्मू एवं कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा ने पंचायत चुनाव पर संशय खत्म करते हुए घोषणा कि राज्य में पंचायतों के चुनाव 15 फरवरी से शुरू होंगे। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई है कि फरवरी में होने वाले पंचायत चुनाव के दौरान लोग गोलियों पर मतदान को तरजीह देंगे। मुख्यमंत्री महबूबा ने राज्यपाल एन.एन. वोहरा के साथ 25 दिसंबर को एक बैठक के दौरान उन्हें 15 फरवरी से चुनाव कराने के सरकार के फैसले के बारे में सूचित किया।

ग्रामीण विकास विभाग राज्य में 8642 मकान बनाएगा : केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित 'प्रधानमंत्री आवास योजना' के अंतर्गत राज्य में 8642 मकान बनाए जाएंगे। जिनमें से 7000 मकान मार्च 2018 तक पूर्ण हो जाएंगे। राज्य के सभी जिलों में 8642 मकानों के निर्माण का कार्य जारी है। प्रवक्ता ने बताया कि राज्य के ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री अब्दुल हक ने 11 सितंबर 2017 को 'पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट स्कीम' शुरू की थी और इस योजना के लिए 43 करोड़ रु. भी जारी कर दिए। इस योजना के अंतर्गत सरकार के खाते से लाभार्थियों के खाते में सीधे धन जारी किया जाता है। राज्य सरकार के उपायुक्त ने योजना की समीक्षा पर कहा कि विभाग द्वारा 8642 मकानों का निर्माण कराया जा रहा है जिनमें से 7000 मकान मार्च 2018 तक पूर्ण हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत 1.30 लाख रु. की आर्थिक सहायता तीन किश्तों में दी जाती है।

पंजाब

बेघरों और दलितों को प्लाट देगी सरकार : प्रदेश सरकार अनुसूचित जाति एवं बेघर परिवारों को मकान बनाने के लिए प्लाट देगी। लाभार्थियों को वक्त पर योजना का लाभ देने के लिए सरकार ने कार्यक्रम जारी कर दिया है। एडीसी ने बताया कि सरकार अप्रैल 2018 में अनुसूचित जाति एवं आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग के परिवारों को पांच-पांच मरले के प्लाट देगी। इच्छुक लाभार्थी 31 जनवरी 2018 तक अपने ब्लॉक विकास एवं पंचायत दफ्तर में आवेदन कर सकते हैं। उपमंडल मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में सब डिवीजन स्तर की कमेटियां आवेदनों की पड़ताल करके सिफारिश करेंगी। यह काम 28 फरवरी तक पूरा कर लिया जाएगा। सही आवेदनों को लेकर 25 मार्च 2018 तक संबंधित ग्राम पंचायत की ओर से प्रस्ताव किया जाएगा। सभी प्रस्ताव 15 अप्रैल को एडीसी को मंजूरी के लिए भेजे जाएंगे। तीस अप्रैल तक योग्य लाभार्थियों का अलाटमेंट पत्र जारी कर दिया जाएगा।

`मणिपुर

सरकार मार्च तक 9740 घरों का निर्माण करेगी : राज्य के ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री थोंगम बिश्वजीत ने कहा कि सरकार का लक्ष्य मार्च 2018 तक प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 9740 घर बनाने का लक्ष्य है। मंत्री ने यह बात विपक्षी पार्टी कांग्रेस के सदस्य के प्रश्न के जवाब में कही। उन्होंने बताया कि लाभार्थियों की जिलावार संख्या इस प्रकार है : बिशनुपुर 347, चंदेल 972, चुराचंदपुर 1819, इंफाल पूर्व 1332, इंफाल पश्चिम 423, सेनापति 1536, तेमंगलोंग 1068, थाउबाल 1586 और उखरूल 657।

राजस्थान

पंचायत उपचुनाव में कांग्रेस जीती : राज्य में हुए स्थानीय निकाय उपचुनाव में कांग्रेस ने सभी चार परिषद सीटें और पंचायत की 16 सीटों पर विजय प्राप्त कीं। इस उपचुनाव में कांग्रेस को 27 सीटों पर जीत हासिल हुई जबकि भारतीय जनता पार्टी को केवल 17 सीटें ही प्राप्त हो सकीं। कांग्रेस को जिला परिषद की सभी चार सीटों पर विजय प्राप्त हुई तथा पंचायत समिति की 27 में से 16 सीटों पर भी जीत हासिल की। नगर पालिका की 6 सीटें भी जीतीं। ये उपचुनाव 17 दिसंबर को हुए थे।

हिमाचल

संसाल और सुनपुर ग्राम पंचायत को मिला पांच-पांच लाख का इनाम : कांगड़ा जिले के बैजनाथ विकास खंड की दो पंचायतें पशुधन योजना के तहत सम्मानित हुई हैं। योजना के तहत बैजनाथ विकास खंड की संसाल और सुनपुर को पशुपालन विभाग की ओर से पांच-पांच लाख का इनाम दिया गया है। इन दोनों ग्राम पंचायतों ने अपनी-अपनी पंचायतों में मौजूद पशुओं का शत प्रतिशत डाटा तैयार कर विभाग को प्रेषित कर दिया, इसके बाद पशुपालन विभाग की ओर से दोनों ग्राम पंचायतों को यह सम्मान दिया गया है। दोनों पंचायतों को मिली राशि को विभिन्न कामों के लिए खर्च किया जाएगा, जिसका जिक्र पशुपालन विभाग की ओर से जारी चेक राशि के साथ संलग्न पत्र में किया गया है।

हरियाणा

सलेमगढ़ ग्राम पंचायत के सरपंच को हाईकोर्ट ने हटाया : हिसार जिले के सलेमगढ़ ग्राम पंचायत के सरपंच धर्मवीर सिंह को हाईकोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली। हाईकोर्ट ने उसे पद से डिसमिस कर दिया। सरपंच पर गलत शपथपत्र देकर पंचायत चुनाव लड़ने का आरोप था। गांव के ही कुलदीप सिंह की शिकायत पर सेशन कोर्ट में उसे निलंबित करते हुए 5 साल की सजा व दस हजार रु. जुर्माना लगाया था, लेकिन उसे हाईकोर्ट से स्टे मिल गया था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि धर्मवीर सिंह सरपंच के खिलाफ 2 अप्रैल, 2010 को थाना सदर में मामला दर्ज हुआ था, जिसमें अदालत ने 26 अगस्त, 2015 को फैसला सुनाते हुए 3-3 साल की कठोर कारावास की सजा व 30 हजार रु. का जुर्माना लगाया था। इसी प्रकार दूसरे मामले में उक्त अदालत ने फैसला सुनाते हुए 3-3 साल की कठोर कारावास व 30 हजार जुर्माना लगाया था। इन दोनों केसों में सजा व दोष सिद्ध हुए और उनकी सजा माफ नहीं हुई। इस मामले में शिकायतकर्ता का कहना है कि नामांकन करते समय धर्मवीर सिंह ने झूठा शपथ पत्र दाखिल किया था।

बिलासपुर जिले की पचास महिला सरपंचों ने पतियों के खिलाफ बिगुल फूंका

मेरा दृढ़ मत है कि इस देश की सही शिक्षा यह होगी कि स्त्री को अपने पति से भी 'न' कहने की कला सिखाई जाए। उसे यह बताया जाए कि अपने पति की कठपुतली या उसके हाथों में गुड़िया बनकर रहना उसके कर्त्तव्य का अंग नहीं है। उसके अपने अधिकार और कर्त्तव्य हैं ...। महात्मा गांधी ने यह विचार करीब 80 साल पहले व्यक्त किया था। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में दर्जनों महिलाओं ने यह कला सीख ली है। गांधी जीवित होते तो इन्हें शाबाशी जरूर देते। यहां सरपंच पति संस्कृति पर कड़ा प्रहार हुआ है। पंचायत के कामकाज में पतियों के हस्तक्षेप से परेशान महिला सरपंचों ने एकजुट हो बगावत छेड़ दी। यह आसान काम नहीं था। घर-संसार उजड़ सकता था। पति ने तो मुंह फुलाया ही, सास-ससुर और पूरे कुनबे का विरोध सहना पड़ा। सहा, लेकिन फिर कर दिखाया। पति को न कह दिया। बिलासपुर जिले के मस्तूरी ब्लॉक की 50 महिला सरपंच अब घूंघट से बाहर आकर अपनी जिम्मेदारी बखूब संभाल रही हैं। पर क्या, जो कभी घूंघट से भी बाहर नहीं निकली थीं, अब अपने दम पर पंचायतों का संचालन कर रही हैं।

छत्तीसगढ़ में ग्राम पंचायत चुनाव बीते तीन वर्ष बीत चुके हैं। मस्तूरी ब्लॉक में 125 ग्राम पंचायतों में से 50 में महिला सरपंच निर्वाचित हैं। अमूमन सभी पंचायतों में तीन से चार महिला पंच भी हैं। आरक्षण नियमों के चलते पति व परिजनों ने अपने प्रभाव से चुनाव जितवाकर उन्हें ग्राम पंचायत में प्रतिष्ठित तो कर दिया था, लेकिन मनमुताबिक काम करने की आजादी नहीं थी। पंचायत की बैठक के दौरान घर से पति के साथ जाना और उनके द्वारा बताए विषयों को ही एजेंडे के रूप में बैठक में शामिल कराना, यही इनका काम था। इन्हें ग्रामीणों का ताना भी सुनना पड़ता था। महिला सरपंच इससे तंग आ गई। अंततः सभी 50 महिला सरपंच एकजुट हो गई। उन्होंने पतियों के हस्तक्षेप के खिलाफ बगावत छेड़ दी। नारी शक्ति पंचायत संघ के रूप में एक संगठन भी बना लिया। पतियों से जमकर संघर्ष किया और अंततः इसमें सफल रहीं।

जिन ग्राम पंचायतों में महिलाएं सरपंच व पंच हैं, वहां ग्रामीणजन महिला के बजाय उसके पति को सरपंच के रूप में संबोधित करते थे। जनपद व जिला पंचायत से आने वाले अफसर भी महिला सरपंच के बजाय उनके पतियों को सरपंच के रूप में महत्व देते थे। हालांकि यहां अब ऐसा नहीं हो रहा है।

ग्राम पंचायत लोहसी की सरपंच गौर बाई गोड़ कहती हैं, अब तक पति के बताए अनुसार ही कामकाज कर रही थी। अब मैं आजाद हूं। सरपंच के पद पर काबिज होने के बाद मुझे इस बात का अहसास पहली बार हुआ है कि मैं इतनी बड़ी ग्राम पंचायत की सरपंच हूं। अब मैं खुद पंचायत जाती हूं। साथी पंचों व सचिव के साथ मिलकर ग्राम विकास की चर्चा करती हूं। वहीं, नारी शक्ति पंचायत संघ की सदस्य हेमलता साहू कहती हैं, संविधान में महिलाओं को अधिकार संपन्न तो बनाया, मगर पति व परिजनों के हस्तक्षेप के कारण महिलाएं इससे वंचित ही रहीं। हमने पतियों व परिजनों की दखलंदाजी से परेशान होकर ही विरोध करना शुरू किया।

इस समय देश के 14 राज्यों में शहरी निकायों में और 17 राज्यों में ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण लागू है जबकि शेष राज्यों में 33 प्रतिशत की व्यवस्था है। लेकिन सरपंच पति संस्कृति के कारण नारी सशक्तीकरण का असल मकसद इससे पूरा नहीं हो पाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सरपंच पति संस्कृति के खात्मे का आह्वान कर चुके हैं।

पंचायतों से भी चर्चा करेगा वित्त आयोग

पंद्रहवां वित्त आयोग पंचायत से लेकर राजनीतिक दलों तक विचार-विमर्श करेगा। इसके बाद ही आयोग अपनी सिफारिशें तय करेगा। इन्हीं सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी तय होगी। आयोग अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने से पहले राज्य सरकारों से विभिन्न आर्थिक व सामाजिक मुद्दों पर विचार-विमर्श करेगा।

नवगठित वित्त आयोग की पहली बैठक 4 दिसंबर को हुई। इसमें आगे की रणनीति तय की गई। पूर्व नौकरशाह एन.के. सिंह की अध्यक्षता वाले वित्त आयोग का गठन 27 नवंबर को किया गया। इसमें वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग के पूर्व सचिव शक्तिकांत दास, डा. अनूप सिंह और दो अस्थायी सदस्य - अशोक लाहिड़ी और डॉ. रमेश चंद भी शामिल हैं।

वित्त आयोग की पहली बैठक में आयोग की सेवा शर्तों और कार्यकाल पर विस्तृत चर्चा हुई। साथ ही निर्णय किया गया कि आयोग अपनी सिफारिशें तय करने से पहले केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के अलावा राज्य सरकारों, पंचायतों, शहरी स्थानीय निकायों और राजनीतिक दलों से विचार-विमर्श करेगा। यह प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी। साथ ही आयोग ने विभिन्न शैक्षिक संस्थानों और थिंक टैंक से अलग-अलग विषयों पर इनपुट लेने का फैसला भी किया। पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशें एक अप्रैल 2020 से अमल में आएंगी। फिलहाल 14वें वित्त आयोग की सिफारिशें लागू हैं। चौदहवें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी 32 से बढ़ाकर 42 फीसदी करने की सिफारिश की थी। माना जा रहा है कि 15वां वित्त आयोग इस सिफारिश की भी समीक्षा कर सकता है।

आयोग देश में जीएसटी लागू होने के बाद केंद्र और राज्यों के राजस्व पर इसके असर का जायजा भी लेगा। साथ ही आयोग सामाजिक-आर्थिक विकास के संबंध में स्थानीय निकायों विशेषकर पंचायतों के लिए वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था करने के सवाल को लेकर भी विचार-विमर्श करेगा। साथ ही, केंद्र और राज्यों की राजकोषीय स्थिति पर आयोग अपनी टिप्पणी करेगा।

सरपंच की धमकी से तंग आकर महिला ने जहर निगला : सोनीपत जिले के खरखौदा थाना इलाके के गांव सैदपुर की एक महिला ने सरपंच पर धमकी देने का आरोप लगाते हुए सल्फास खाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। महिला के बयान पर पुलिस ने सरपंच व पीड़ित महिला के खिलाफ भी केस दर्ज कर लिया है। गांव सैदपुर निवासी सीमा देवी का कहना है कि पंचायती जोहड़ के साथ उनका पुश्तैनी प्लाट है। इसमें उन्होंने पशुबाड़ा बना रखा है। गांव का सरपंच धर्मेंद्र उनके पशुबाड़े के साथ लगती जमीन पर जबरन गऊघाट बनवा रहा है। इस पर उन्होंने गांव के मौजिज व्यक्तियों के माध्यम से सरपंच को प्लाट से थोड़ा दूर पंचायती जोहड़ पर पशुघाट बनाने का अनुरोध किया था।

पूर्व सरपंच पर लाखों के गबन का आरोप : फरीदाबाद जिले के गांव अमरपुर की पूर्व सरपंच द्वारा सवा चार लाख रु. का सरकारी गबन करने का मामला प्रकाश में आया है। चांदहट थाना पुलिस ने बीडीपीओ पलवल की शिकायत पर आरोपी पूर्व सरपंच के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जांच अधिकारी बादाम सिंह के अनुसार बीडीपीओ पलवल ने शिकायत दर्ज कराई है कि गांव अमरपुर की पूर्व सरपंच सुशीला ने अपने कार्यकाल के दौरान सरकारी खजाने से रुपए निकाल कर गांव कार्य कराए। जांच करने पर पता चला कि पूर्व सरपंच ने काम कम कराया तथा उसकी एवज में 4 लाख 21 हजार 822 रुपए का गबन किया। ⊡

➢ पृष्ठ 1 का शेष ....

विधिवत चुनाव तथा उन्हें सरकारी मान्यता प्रदान करना अत्यंत आवश्यक है।

शिक्षा ग्रामीण विकास का माध्यम

ग्रामीण समाज में अज्ञानता, अंधविश्वास, चरित्रहीनता, न्यायालय में झूठी गवाही देने व घूस को उचित मानना, नैतिक गिरावट तथा महिलाओं के साथ निर्लज्जता पूर्वक व्यवहार आदि कुरीतियां फैली हुई थीं। चौधरी छोटूराम की नजर में इन सभी बीमारियों का एक ही इलाज था - आध्यात्मिक, नैतिक व बौद्धिक शिक्षा का सुचारू रूप से प्रचार व प्रसार। उन्होंने यह महसूस किया कि महिलाओं के उत्तरदायित्व तो अनेक हैं लेकिन अधिकार कोई नहीं हैं। बालिकाओं की शिक्षा के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं। बचपन में ही उनकी शादी कर दी जाती है और उन्हें चल संपत्ति समझा जाता है। अतः इन सभी नकारात्मक पहलूओं के निवारण के लिए उन्होंने नारी शिक्षा पर जोर दिया। इस संदर्भ में यहां पर यह बताना जरूरी है कि आज सोनीपत जिले के खानपुर गांव में भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय बना हुआ है, उसकी नींव केवल तीन छात्राओं के गुरूकुल के रूप में उसी क्षेत्र के सम्मानित व जाने-माने भगत फूल सिंह द्वारा रखी गई थी और चौधरी छोटूराम ने इस कार्य में पूर्ण सहयोग किया था। चौधरी साहब जब पंजाब प्रांत के शिक्षा मंत्री बने तब झज्जर व बहादुरगढ़ के हाईस्कूलों को सरकारी अधिकार में लेकर अनुदान राशि प्रदान की, रसूल इंजीनियरिंग स्कूल में जमींदार छात्रों के प्रवेश के लिए 50 प्रतिशत स्थान सुरक्षित रखे, मिडिल व अपर मिडिल स्कूलों में पुस्तकालय खोलने के लिए धनराशि प्रदान की, जिलों के मुख्य स्थानों पर हाई स्कूल व कॉलेज तथा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रारंभिक व मिडिल स्कूलों की संख्या बढ़ाने का निश्चय किया और चिकित्सा कालेजों में प्रवेश के लिए जो रियायतें मुसलमानों व सिखों के लिए प्राप्त थीं, वही रियायतें उन्होंने हिन्दू जमींदारों के छात्रों के लिए स्वीकार कीं। इससे भी पहले 1913 में रोहतक के जाट स्कूल की स्थापना में भी चौधरी साहब ने बढ़-चढ़ कर भाग लिया और स्कूल के प्रथम जलसे में उन्हें इस स्कूल की समिति का निर्विरोध निर्वाचित सचिव बनाया गया। इतना ही नहीं उन्होंने गरीब व कमजोर वर्ग के छात्रों को शिक्षित करने व उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए छात्रवृत्तियां भी प्रदान की। पूर्व जहाजरानी मंत्री, भारत सरकार स्वर्गीय चौधरी चांदराम ने बार-बार महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक में आयोजित छोटूराम की विचारधारा पर आधारित सेमिनारों में कहा कि "मैं जितने भी उच्च पदों पर रहा चाहे हरियाणा सरकार व भारत सरकार में रहा हूं उसका श्रेय चौधरी छोटूराम को जाता है क्योंकि उन्हीं के द्वारा प्रदान की गई छात्रवृत्ति से मैं पढ़ पाया अन्यथा मेरे लिए ये संभव नहीं था। किसानों के उत्थान के लिए उन्होंने अनेक अधिनियम बनाकर उनकी समस्याओं को दूर किया।

अतः ग्रामीण विकास चौधरी छोटूराम की आत्मा में बसा हुआ था। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य व स्वच्छता की जागरूकता पर यथा संभव सरकारी तौर पर व्यवस्था की। ग्राम विकास के लिए पंचायतों को कानूनी रूप से अधिकार संपन्न बनाकर गठन पर जोर दिया। करों के अनुपात में शहरी तर्ज पर सरकार कोष से ग्रामीण विकास पर धन खर्च करने का प्रयत्न किया। महिलाओं को उद्योग धंधों के प्रशिक्षण पर जोर देकर घरेलू व कुटीर उद्योगों में रोजगार के लिए प्रोत्साहित किया। ग्रामीण युवाओं को केवल कृषि पर निर्भर न रहकर सेवा क्षेत्र में भी नौकरी प्राप्त करने का जोर दिया। पशुधन को प्रोत्साहन देकर उत्कृष्ट पशुओं को पुरस्कार प्रदान करने के लिए पशु प्रदर्शनी व मेलों के आयोजन की व्यवस्था की। आज जितनी भी स्कीम व कार्यक्रम ग्रामीण विकास के लिए चल रहे हैं वे सभी चौधरी छोटूराम के ग्रामीण विकास मॉडल में शामिल थे।

(*सहायक प्रोफेसर, लोक प्रशासन विभाग, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक)

नेहरू के पंचायती राज की समकालीन प्रासंगिकता

प्रो. रणबीर सिंह*

भारत के प्रथम प्रधानमंत्री (1947-1964) के रूप में पंडित जवाहर लाल नेहरू ने अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस प्रसंग में जहां उन्होंने संघीय व्यवस्था, संसदीय शासन प्रणाली, धर्मनिरपेक्षता और नियोजन के महत्व को समझा, वहां नेहरू ने केंद्र और परिधि को जोड़ने के लिए पंचायती राज की स्थापना में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया।

1951-52 के प्रथम चुनाव से पहले उन्होंने मालवीय के नेतृत्व में पंचायतों के अध्ययन के लिए और उन पर सुझाव देने के लिए एक कमेटी का गठन किया। इन चुनाव के बाद सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों पर दबाव डालकर राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों में दिए गए अनुच्छेद 40 को लागू करने के लिए ग्राम पंचायत अधिनियम बनवाए और लागू कराए। इन्हीं के द्वारा ग्राम पंचायतों के चुनाव सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर करवाए गए। इतना ही नहीं इन्हें मजबूत करने के लिए 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम और 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा स्कीम लागू करवाई क्योंकि वे समझते थे कि ग्रामीण समाज का बहुमुखी विकास करना पंचायतों की सफलता के लिए जरूरी है। गौरतलब है कि नेहरू पंचायत के साथ-साथ स्कूल और सहकारी संगठनों को आवश्यक मानते थे।

जब उन्हें लगा कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सेवा योजना ठीक ढंग से नहीं चल रही तो इनकी असफलता के कारण ढूंढने और इन्हें सफल बनाने के उपाय सुझाने के लिए बलवंत राय मेहता अध्ययन मंडली की स्थापना 1957 में करवाई।

इस मंडली को दो कार्य सौंपे गए थे। एक तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजनाओं को सफल बनाने के लिए सुझाव देने का और दूसरे ग्रामीण स्थानीय स्वशासन का एक नया ढांचा बनाने के लिए रूपरेखा तैयार करने का। एक गहन अध्ययन करने के बाद बलवंत राय अध्ययन मंडली ने पाया कि ग्रामीण विकास इसलिए असफल रहे क्योंकि उनमें जनभागीदारी नहीं थी। इन्हें अफसरशाही के द्वारा चलाया जा रहा था। इसीलिए इस मंडली ने प्रजातंत्रीय विकेंद्रीकरण की एक त्रिस्तरीय स्कीम का सुझाव दिया। इसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतों, खंड स्तर पर पंचायत समितियों और जिला स्तर पर जिला परिषदों की स्थापना का सुझाव दिया गया था। प्रत्यक्ष चुनाव की बजाए अप्रत्यक्ष चुनाव करवाने का सुझाव दिया गया था ताकि राजनीतिक दलों को इन संस्थाओं से बाहर रखा जा सके। मंडली का विचार था कि क्योंकि ग्राम एक बहुत छोटी इकाई है और उस पर साधनों और नेतृत्व की कमी है। अत: योजना बनाने और लागू करवाने का काम ग्राम पंचायतों को न दिया जाए। इसी प्रकार जिला एक बहुत बड़ा क्षेत्र है और जनता से दूर है, इसे भी ये भूमिका नहीं दी जानी चाहिए। इन कार्यों के लिए खंड की इकाई की उपयुक्त है क्योंकि खंड न ग्राम जितना छोटा है और न ही जनता से जिले जितना दूर है। इसलिए पंचायत समिति को योजना बनाने और लागू करने का काम सौंपा जाए। ग्राम पंचायतें विकास योजना लागू करने में उसकी सहायता करें और जिला परिषद पंचायत समितियों में तालमेल करवाने, उन्हें सलाह देने और उनकी निगरानी करने का काम करे।

बलवंत राय अध्ययन मंडली की सिफारिशों पर राज्यों के स्थानीय स्वशासन मंत्रियों के हैदराबाद में हुए सम्मेलन (1958) तथा राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा मंजूरी दी गई। लेकिन साथ में यह भी सुझाव दिया क्योंकि यह तर्जुबा बहुत महत्वपूर्ण है और सभी राज्यों की वस्तुस्थिति में अंतर है अत: हर राज्य को अपनी आवश्यकता के अनुसार उसमें बदलाव लाने की छूट होनी चाहिए। लेकिन प्रजातंत्रीय ढंग से चुने होने की और इन्हें शक्तियां देने की शर्त सभी को पूरी करनी होगी। इसलिए हर राज्य ने अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप पंचायती राज व्यवस्थाएं स्थापित की जो कि मुख्यरूप से महाराष्ट्र और राजस्थान माडलों पर आधारित थीं।

राजस्थान मॉडल में जिला कलेक्टर को महत्वपूर्ण भूमिका दी गई। अप्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था की गई और पंचायत समिति को मुख्य इकाई बनाया गया। जबकि महाराष्ट्र मॉडल में जिला कलेक्टर को पंचायती राज से बाहर रखा गया और जिला परिषद को मुख्य इकाई बनाया गया और इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी को सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी बनाया गया था।

प्रधानमंत्री नेहरू ने पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना और उनके सशक्तीकरण पर निगरानी रखने का उत्तरदायित्व केंद्रीय सरकार के सामुदायिक विकास, सहकारिता और पंचायती राज मंत्री एस.के. डे. को सौंपा क्योंकि उन्हें पंचायती राज में गहरी आस्था थी। नेहरू पंचायती राज के भविष्य के बारे में इतने अधिक चिंतित थे कि उन्होंने अपनी मृत्यु से कुछ दिन पहले एक दिन देर रात टेलीफोन करके डे साहब को अपने घर बुलवाया और उनसे पूछा कि पंचायती राज का भविष्य क्या है? डे साहब ने उत्तर दिया कि पश्चिमी भारत के राज्यों में तो पंचायती राज को समाप्त नहीं किया जा सकता लेकिन उत्तर भारत में ऐसा हो सकता है। इस पर नेहरू ने उन्हें कहा कि उनके पास समय बहुत कम है अत: पंचायती राज को मजबूत करने के प्रयास किए जाएं।

नेहरू की आशंका सही सिद्ध हुई। उनके बाद प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री के कार्यकाल में पंचायती राज को कमजोर कर दिया गया और इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में यह लगभग समाप्त हो गया। मोरारजी देसाई की जनता सरकार ने इसे फिर से मजबूत बनाने के उपाय सुझाने के लिए अशोक मेहता कमेटी (1978) स्थापित की। जिसने जिला परिषदों और मंडल पंचायतों पर आधारित और प्रत्यक्ष रूप से चुना पंचायती राज का नया ढांचा स्थापित करने और इसे अधिक शक्तियां और साधन देने का सुझाव दिया। किंतु जनता पार्टी में विभाजन के बाद ये सिफारिशें लागू नहीं हो सकीं। 1980 में इंदिरा गांधी के फिर सत्ता में आ जाने के बाद जिला ग्रामीण विकास अधिकरण स्थापित करके पंचायती राज को कमजोर बना दिया गया।

राजीव गांधी ने अपने प्रधानमंत्रित्व काल (1984-89) में 64वें संवैधानिक संशोधन बिल के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को सांविधानिक दर्जा देने, उनके प्रत्यक्ष चुनाव करवाने और उनमें महिलाओं, अनुसूचित जातियों और जनजातियों को भागीदारी देने का प्रयास किया। किंतु राज्यसभा में यह बिल पास नहीं हो सका। उनके अधूरे कार्य को पी.वी. नरसिम्हा राव सरकार (1991-96) ने 73वें सांविधानिक संशोधन के माध्यम से पूरा करने का प्रयास किया। इसी के आधार पर 1994 में एक फिर नेहरू की पंचायती राज की अवधारणा को एक नया स्वरूप दिया गया। किंतु 23 वर्ष बीत जाने के बाद भी पंचायती राज संस्थाओं का वास्तविक सशक्तीकरण नहीं हो पाया है।

उदारीकरण, निजीकरण के वर्तमान युग में पंचायतीराज और भी प्रासंगिक हो गया है क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने सोशल सेक्टर में (शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में) अपनी भागीदारी कम कर दी है और जनता को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रहम-करम पर छोड़ दिया है। ऐसी अवस्था में पंचायती राज संस्थाएं जनता को राहत पहुंचाने का कार्य कर सकती हैं।

(*प्रो. रणबीर सिंह, कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय के भूतपूर्व डीन समाज विज्ञान संकाय हैं)

विविध समाचार

गांवों का कायाकल्प करने में सही साबित हो रही मनरेगा

गांवों का कायाकल्प करने में मनरेगा सही साबित हो रही है। मनरेगा सिर्फ रोजगार ही नहीं दे रही, बल्कि इससे ग्रामीण क्षेत्र में चौतरफा विकास भी हो रहा है। मनरेगा पर अब तक के सबसे बड़े अध्ययन से पता चला है कि कृषि की पैदावार बढ़ी है और देश के एक छोर से दूसरे छोर तक भूजल का स्तर ऊपर उठा है।

नई दिल्ली स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ इकानॉमिक ग्रोथ (आईईजी) की तरफ से मनरेगा पर किए गए विस्तृत अध्ययन की रिपोर्ट 6 दिसंबर को जारी की गई। ग्रामीण क्षेत्र में तमाम उत्पादों की मांग बढ़ाने में मनरेगा की भूमिका भी सवालों से परे है। मनरेगा को आवंटित धनराशि का 60 प्रतिशत हिस्सा प्राकृतिक संसाधन संरक्षण पर खर्च किया जाता है। इसका असर कृषि क्षेत्र और जल संरक्षण पर भरपूर दिखा है। रिपोर्ट में दर्ज आंकड़ों के मुताबिक, ग्रामीण गरीबों ग्रामीण गरीबों की माली हालत में 11 फीसदी तक की वृद्धि हुई है। मनरेगा में जल संरक्षण, मेडबंदी, भूमि सुधार और कृषि संबंधी गतिविधियों में पर्याप्त काम करने का प्रावधान है। नतीजतन, अनाज की पैदावार में 11.5 फीसदी और सब्जियों के उत्पादन में रिकॉर्ड 32.3 फीसदी की वृद्धि हुई है। मवेशियों की बढ़ती संख्या के लिए पशु चारे की किल्लत को कम करने में मदद मिली है। मुक्तसर से लेकर विशाखापत्तनम तक भूजल स्तर को ऊपर लाने में मदद मिली है। ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने की दिशा में मनरेगा ने अहम भूमिका निभाई है। वर्ष 2006 से दो करोड़ से अधिक स्थायी निर्माण कराए गए हैं। निर्माणों का पिछले दो सालों में जियो टैगिंग की गई है। मनरेगा में खेतों में खोदे गए तालाब व कुएं से जहां बेरोजगारों को काम मिला, वहीं खेती-किसानी में मदद मिली है। अध्ययन के लिए 29 राज्यों के 30 जिलों के 1160 ग्रामीण परिवारों को चयनित किया गया। मनरेगा मजदूरों को कुशल बनाने के लिए गरीब युवाओं को कौशल विकास के तहत प्रशिक्षण दिया गया।

ग्रामीणों के लिए दस लाख घर बनाने का लक्ष्य पूरा

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि सरकार ने अपनी प्रमुख हाउसिंग स्कीम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दस लाख घर बनाने का लक्ष्य पूरा कर लिया है। खास बात यह भी है कि यह निर्धारित अवधि से पहले ही पूरा किया गया। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 29 नवंबर को जारी अपने अधिकृत बयान में कहा कि इन घरों से सुदूर इलाकों का माहौल तेजी से बदल रहा है।

इन आवासों में शौचालय से लेकर एलपीजी गैस कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, पेयजल आदि सभी मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। मंत्रालय का कहना है कि इन घरों का निर्माण निर्धारित समय-सीमा से पहले इसलिए पूरा हो सका कि लाभार्थियों के खाते में सीधे तौर पर वित्तीय सहायता की धनराशि भेजी जा रही थी। साथ ही उन्हें ग्रामीण परिवेश के अनुसार उपयुक्त मकान बनाने का माकूल प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा रहा है। योजना के तहत दस लाख मकानों का निर्माण 30 नवंबर से पहले पूरा किया जाना था।

केंद्र सरकार अपने पूरे हो चुके इस लक्ष्य के आगे भी ग्रामीणों के लिए आवास बनाएगी। अब सरकार का लक्ष्य देश भर में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब लोगों के लिए 50 लाख से अधिक मकान अगले साल 31 मार्च तक बनाने का है। जबकि वर्ष 2019 में 31 मार्च तक कुल एक करोड़ नए मकान बनाने का लक्ष्य है।

मनरेगा से बनेंगे 375 आंगनबाड़ी केंद्र

हरियाणा में आंगनबाड़ी केंद्रों को अपना भवन मुहैया कराने की मुहिम को तेज करते हुए वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान 375 आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण किया जाएगा। हरियाणा में पहली बार इनके निर्माण में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (मनरेगा) की अहम भूमिका होगी, ताकि अर्धकुशल कामगार युवाओं के दैनिक रोजगार के दिनों में इजाफा किया जा सके। ग्रामीण क्षेत्रों में बनने वाले इन केंद्रों का निर्माण अब जिला परिषद के माध्यम से करवाया जाएगा। पहले पंचायत विभाग इनका निर्माण करवाता था।

महिला एवं बाल विकास मंत्री ने 30 नवंबर को बताया कि इन केंद्रों पर 18.56 करोड़ रु. की धनराशि खर्च की जाएगी। उन्होंने बताया कि पहली बार आंगनबाड़ी केंद्र निर्माण में मनरेगा योजना के तहत फंड अलॉट किया गया। उन्होंने बताया कि प्रत्येक आंगबाड़ी केंद्र निर्माण के लिए मनरेगा के तहत 5 लाख रु., केंद्र सरकार का हिस्सा 1.20 लाख रु. व प्रदेश का हिस्सा 80 हजार रु. रहेगा। मनरेगा के तहत इनके निर्माण से अर्ध कुशल, कामगार युवाओं के लिए कार्य दिवस में बढ़ोत्तरी होगी।

मनरेगा मजदूरी से धान कटाई हो : धनखड़

हरियाणा ने केंद्र सरकार से मांग की है कि कम से कम एक महीना धान की कटाई के मौसम में पराली इकट्ठे करने की मजदूरी मनरेगा के तहत दी जाए। इसके अलावा धान की खरीद के समय ही पराली के समाधान के लिए किसानों को कुछ प्रोत्साहन राशि दी जाए। कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि राज्य सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में धान की पराली जलाने व अन्य कारणों से वातावरण से धुएं की परत को लेकर चिंतित है तथा सरकार द्वारा एहतियात के तौर पर इसके समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

वार्षिक शुल्क : व्यक्तिगत 100 **रुपए, संस्थागत** 200 **रुपए और विदेश के लिए** 25 **अमेरिकी डॉलर। एक प्रति :** 10 **रुपए। बैंक ड्राफ्ट/धनादेश कृपया इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, नई दिल्ली के नाम भेजें।**

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक **राजकिशोर** द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के लिए 8, नेलसन मंडेला रोड, नई दिल्ली -110070 से प्रकाशित एवं कल्पना प्रिंटिंग हाउस, एल-4, ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110016 से मुद्रित। **संपादक : श्रीपाल जैन, एसोसिएट एटिडर : संतोष सिंह**

पंचायती राज अपडेट
इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज
8, नेलसन मंडेला रोड, नई दिल्ली -110070
फोन : 011-43158800
ईमेल : mypanchayat@gmail.com